Annexure-V

पत्र संख्या–3 / वन भूमि–36 / 2008–

झारखण्ड सरकार,

वन एवं पर्यावरण विभाग

व०प०

प्रेषक,

मदन सेनगुप्ता,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची ।

राँची, दिनांक–

विषयः– मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लि०, मुसाबनी को नवीकृत खनन् पट्टा 203.62 हे० में से 47.49 हे० सतही क्षेत्र के लिए जो खनिज क्षेत्र है तथा 142.25 हे० अन्डर ग्राउन्ड खनन् के लिए कुल–189.74 हे० वन भूमि अपयोजन नवीकरण का प्रस्ताव ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सहायक महानिरीक्षक, वन, भारत सरकार के पत्रांक–8–54 / 93–एफ०सी० दिनांक–15.05.1998 द्वारा विषयगत परियोजना की शर्त्तों के साथ प्रदत्त स्टेज–।। की स्वीकृति का आपके पत्रांक–22 पी०–2 (डी) 93–1370 दिनांक–03.04.2008 से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई । समीक्षोपरान्त वर्णित वन भूमि को विमुक्त करने का निर्णय लिया गया है ।

कृपया निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह० / –

(मदन सेनगुप्ता)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–3 / वन भूमि–36 / 2008– व०प०, राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि–अनुपालन प्रतिवेदन सहित सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु०–यथापरोक्त ।

ह० / –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–3 / वन भूमि–36 / 2008– 4258 व०प०, राँची, दिनांक– 4.12.08

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर / वन संरक्षक, दक्षिणी अंचल, चाईबासा / वन प्रमंडल पदाधिकारी, धालभूम वन प्रमंडल, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव

Scanned by CamScanner